209

11

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

Annexure-1

Form-1
(for linear projects)
Goverment of Rajasthan
Office of the District Collector Jaipur

No. 1646/R-1( )विविध/11

Date: 23 Feb. 2016

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

in compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of india's letter No.11- 9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoFE issued guidelinesson submission of evidences for having initiated and completed the process ofsettlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ("FRA, for short) ontheforest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MoEF,s letter dated 5 th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, in is certified that 1.51 hectare of forest land proposed to beciverted in favour of Jaipur Development Authority (name of user agency) for Contruction of Aerial ropeway from Kanak Vrindavan to Jairgarh- Nahargarh Road Junction (purpose for diversion of forest land) in Jaipur district falls within jurisdiction of Amer villages (s) in Amer tehsils.

it is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entrire 1.51 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) , Gram Sabhas(s), Sub- Divisíon Level Committee(s) and theDistrict Level Committee are enclosed as annexure Nil to Nil annexure.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it:,

(c) the proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Note:-As the area propused for divirsion falls in urban limit, Jaipur Nagar Nigam has given their consent to it.

अविनाश शर्मा
अधिशाषी अभियन्ता–रिंग रोड(प्रथम)

(Krishna Kunal)
District Collector
Jaipur

संजीव कुमार जैन
अधीक्षण अभियन्ता (रिंग रोड)
छायाप्रति प्रमाणित

☎ 0141-2209001(O) 0141-2209000(Fax) Email:- dm-jaip-rj@nic.in

अधिशाषी अभियन्ता (रिंग रोड)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

FAX NO. :01412209002

ANNEXURE ... 13 May 2013 ...

202

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक: आर–1(   )11/विविध/5013   दिनांक 10-5-13

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः– कनक वृन्दावन से जयगढ–नाहरगढ रोड जंक्शन तक रोपवे निर्माण के लिए 1.51 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्र क्रमांक: F. 8 (143)JDA/EE(PDC-I) Forest Clearance Aerial Ropeway /2012/D-291 दिनांक:12.10.12 एवं 337 दिनांक: 25.4.2013

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा कनक वृन्दावन से जयगढ–नाहरगढ रोड जंक्शन तक रोपवे के निर्माण मे वन विभाग के नाहरगढ सेन्चुरी एरिया आमेर की 1.51 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव वन विभाग मे भिजवाये जाने के संबंध में वन विभाग द्वारा भारत सरकार के परिपत्र 11–9/1998–एफ.सी. (पt.) दिनांक: 03.08.2009 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 के तहत प्रमाण पत्र चाहा जा रहा है।

प्रकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर, उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। आयुक्त (राजस्व) नगर निगम जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ 6 (   ) तहसीलदार/जननि/2013 दिनांक 28.03.2013 द्वारा आयुक्त आमेर जोन, नगर निगम को अपने स्तर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु लिखा गया। आयुक्त आमेर जोन नगर निगम जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक: 794 दिनांक: 05.04.2013 द्वारा रोपवे निर्माण में स्थानीय निकाय को कोई आपत्ति नही होना बताया गया है। उप वन संरक्षक वन्य जीव जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: एफ (   )वन संरक्षण/उवसवजी/2013/2557 दिनांक 06.05.2013 तथा उपखण्ड अधिकारी आमेर ने अपने पत्र क्रमांक: राजस्व/13/1099 दिनांक: 09.05.2013 द्वारा रोपवे निर्माण में परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 के तहत किसी के हक व अधिकार प्रभावित नही होने से वांछित प्रमाण पत्र जारी किये जाने की सहमति प्रदान की गई है।

अतः आयुक्त, आमेर जोन, नगर निगम, उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कनक वृन्दावन से जयगढ–नाहरगढ रोड जंक्शन तक रोपवे के निर्माण के लिए 1.51 हैक्ट0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी किया जाकर पत्र के संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नः– प्रमाण पत्र

(टी0 रविकान्त)
जिला कलक्टर
जयपुर

TRUE COPY

छायाप्रति प्रमाणित

☎0141-2209001(O) 0141-2209000(Fax) Email:- dm-jaip-rj@nic.in

अविनाश शर्मा
अधिशाषी अभियन्ता–रिंग रोड(प्रथम)

अधिशाषी अभियन्ता (रिंग रोड)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

203

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

प्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्र क्रमांक: आर-1 ( )11/विविध/5013 दिनांक: 10-05-13 के सन्दर्भ में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को जारी किया जाता है।

:: CERTIFICATE ::

Regarding compliance of Schedule Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recogintion of Forest Rights) Act'2006 in respect of Diversion of forest land measuring 1.51 Hectrare in Nahargarh Sanctuary Area, Tehsil Amer, Jaipur

1. It is certified that no Schedule Tribes & other Traditional Forest Dwellers (under Recoginition of Forest Rights Act 2006) are dwelling in Nahargarh Sanctuary Forest area aof 1.51 Hectare proposed for Construction of Aerial ropeway from Kanak Vrindavan to Jaigarh-Nahargarh Road Junction.

2. It is certified that there is no Gram Sabha existing in the proposed area as the area comes in Urban Limit.

3. It is certificated that on the basis of verification, no such facilities managed by Govt. requiring diversion of forest land under section 3(2) of the Forest Right Act 2006 exist over the forest land proposed for diversions.

(T. RAVIKANT)
CHAIRPERSON
DISTRICT LEVEL COMMITTEE

TRUE COPY
अविनाश शर्मा
अधिशाषी अभियन्ता-रिंग रोड(प्रथम)

छायाप्रति प्रमाणित

☎ 0141-2209001(O) 0141-2209000(Fax), Email:- dm-jaip-rj@nic.in

अधिशाषी अभियन्ता (रिंग रोड)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

कार्यालय आयुक्त आमेर जोन
नगर निगम जयपुर

क्रमांकः- 794 दिनांक 5-4-13

जिला कलक्टर
जयपुर

विषयः-- कनक वृन्दावन से जयगढ़--नाहरगढ़ रोड जंक्शन तक रोपवे निर्माण के लिए 1.51 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध मे।
संदर्भः-- आपका पत्रांक आर--1 ( ) 11/विविध/2284 दि. 14.03.13 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कनक वृन्दावन से जयगढ़ नाहरगढ़ रोड जंक्शन तक रोपवे निर्माण के लिए 1.51 है0 वन भूमि के संबंध में अगर रोपवे का निर्माण होता है तो परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 के तहत किसी के कोई अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। अतः इस स्थानीय निकाय को प्रस्तावित रोपवे निर्माण के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः यह अनापत्ति प्रमाण पत्र कनक वृन्दावन से जयगढ़ नाहरगढ़ रोड जंक्शन तक 1.51 है0 वनभूमि पर रोपवे निर्माण बाबत वन विभाग नियमों के संदर्भ में जारी किया जाता है।

आयुक्त
आमेर जोन
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महो., नगर निगम जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर।
4. आयुक्त(राजस्व), नगर निगम जयपुर के कार्यालय के पत्रांक क्र. 6 () कार्यालय/भूमि/2013/1363 दि. 28.03.13 के संदर्भ में।

छायाप्रति प्रमाणित
नगर निगम जयपुर

अधिशाषी अभियन्ता (रिंग रोड)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

Hemlata April 13